रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226578
CG-DL-E-13042021-226578

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943
No. 175]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2021

सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.072.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 15 के उप-विनियम (3) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(खक) न्यूनतम सेवा क्वालिटी मानक, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के लिए समय-सीमाएं भी हैं -

(i) उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण,

(ii) चूक के अभिलेख का जारी किया जाना, और

(iii) रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं को वार्षिक विवरणी जारी करना ।

(खख) क्वालिटी मानकों और क्वालिटी मानक प्रमाणन को अंगीकृत करना।"

3. मूल विनियमों के विनियम 27 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) ऐसा उपयोक्ता, जिसने किसी इनफॉरमेशन यूटिलिटी को अनुसूची के प्ररूप ग में सूचना प्रस्तुत की है, प्रत्येक मास के अंतिम दिन तक यथा-विद्यमान अद्यतन सूचना आगामी मास के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगा:

परन्तु चूक की सूचना को, चूक होने के सात दिन के भीतर अद्यतन किया जाएगा ।"

4. मूल विनियमों में, विनियम 36 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"36क. सांख्यिकीय सूचना का प्रकाशन –

(1) इनफॉरमेशन यूटिलिटी अपने कब्जाधीन ऋण से संबंधित सूचना के संबंध में आंकड़ें तिमाही रूप में प्रकाशित करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के आंकड़ों में ऋणों का मुद्रा, भोगौलिक, क्षेत्र, आकार, कालावधि, प्रकार, उधार देने की व्यवस्था और चूक की घटना के अनुसार वितरण का उपबंध होगा ।"

5. मूल विनियमों की अनुसूची में, प्ररूप ग स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप ग

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलटी) विनियमन, 2017 के विनियम 20 के अधीन

(टिप्पण: इस प्ररूप में सूचना ऐसे आवश्यक उपांतरणों सहित, जो इनफॉरमेशन यूटिलिटी उचित समझे, स्वीकार की जा सकेगी ।)

क. ऋण के सृजन से संबंधित ब्यौरे		
क्रम सं.	**सूचना की प्रकृति**	**विशिष्टियां**
I	**II**	**III**
सूचना प्रस्तुत करने वाले उपयोक्ता के ब्यौरे		
1	कारोबार की तारीख (सूचना अद्यतन होगी । उदाहरणार्थ, 30 अप्रैल, 2020 को यथा-विद्यमान डाटा, भले ही वह पश्चात्वर्ती तारीख, मानो 5 मई, 2020 को प्रस्तुत किया गया हो, कारोबार की तारीख - 30 अप्रैल, 2020 को यथा-विद्यमान डाटा होगा ।)	
2	यू.आई.एन.(पैन)	
3	पूरा नाम (कृपया अभिवादन शब्द के बिना अपना पहला, मध्य और अंतिम नाम दें)	
4.	संबंध (ऋणी/लेनदार/प्रत्याभूतिदाता/सह-वचनबद्ध/प्रतिभूति प्रदाता/समनुदेशिती)	
5.	जन्म की तारीख/निगमन की तारीख	
6	पत्र-व्यवहार का पता	

7	पिन कोड	
8	टेलीफोन नं.	
9	मोबाइल नं.	
10	ईमेल आई.डी.-1 (प्रस्तुत करने की पावती, प्रस्तुत करने से संबंधित अन्य संदेशों या कोई अन्य साधारण प्रयोजन के संदेश के लिए)	
11	ईमेल आई.डी.-2 (प्रस्तुतकर्ता को भेजे गए विवाद-सतर्क के लिए)	
12	ईमेल आई.डी.-3 प्रस्तुतकर्ता को भेजे गए चूक-सतर्क के लिए)	
ऋण के अन्य पक्षकारों (ऋण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त) के ब्यौरे		
पक्षकारों के ब्यौरे (कृपया उतने पक्षकार जोड़ें जितने लागू हों)		
13.	संबंध (ऋणी/लेनदार/प्रत्याभूतिदाता/सह्-वचनबद्ध/प्रतिभूति प्रदाता/समनुदेशिती)	
14	पक्षकार का नाम (कृपया अभिवादन शब्द के बिना अपना पहला, मध्य और अंतिम नाम दें)	
15	रजिस्ट्रीकृत/स्थायी पता	
16	रजिस्ट्रीकृत पता पिन कोड	
17	पत्र-व्यवहार का पता	
18	पत्र-व्यवहार का पता पिन कोड	
19	पक्षकार का प्रकार (भारतीय इकाई, निवासी व्यष्टि, विदेशी इकाई, अनिवासी भारतीय/विदेशी व्यष्टि)	
20	विधिक गठन (पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एल.एल.पी., स्वत्वधारिता, भागीदारी, किसी कानून द्वारा या उसके अधीन सृजित इकाई, न्यास, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, सहकारी सोसाइटी, व्यक्ति-सगम, सरकार, स्वावलंबी समूह, निवासी व्यष्टि, अनिवासी विदेशी कंपनी)	
21	एम.एस.एम.ई. फ्लैग (हां/नहीं)	
22	एम.एस.एम.ई. उप-प्रकार (सूक्ष्म, लघु, मध्यम)	
23	उद्योग प्रवर्ग	
24	जन्म की तारीख/निगमन की तारीख	
25	रजिस्ट्रीकृत कारपोरेट इकाइयों के लिए कारपोरेट पहचान संख्यांक (सी.आई.एन./ एल.एल.पी.आई.एन.)	
26	पैन	

27	ग्राहक आई.डी.	
28	सी.के.वाई.सी. के.आई.एन.	
29	संपर्क व्यक्ति का नाम	
30	संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नं.	
31	वैकल्पिक नं.	
32	ईमेल आई.डी.	
33	वैकल्पिक ईमेल आई.डी.	
	ऋण के ब्यौरे	
34	ऋण संदर्भ संख्यांक	
35	पुराना ऋण संदर्भ संख्यांक (यदि ऋण को इससे पूर्व किसी इनफॉरमेशन यूटिलिटी में अभिलिखित किया गया है तो ऋण का अभिन्न पहचानदाता)	
36	लेनदार की अवस्थिति (लेनदार का आंतरिक अवस्थिति कोड, जहां लेनदार द्वारा प्रस्तुत किया गया है)	
37	लेनदार का कारोबार यूनिट (लेनदार का आंतरिक कारोबार यूनिट कोड, जहां लेनदार द्वारा प्रस्तुत किया गया है)	
38	लेनदार का आर.एम. ईमेल (अधिसूचना के प्रयोजनार्थ लेनदार के संपर्क प्रबंधक का ईमेल)	
39	ऋण संविदा की तारीख (मंजूरी, अंतिम नवीकरण, ऋण पावती, आदि की तारीख)	
40	ऋण के प्रारंभ की तारीख (प्रथम संवितरण की तारीख या सुविधा की क्रियाशीलता की तारीख)	
41	मंजूरी संदर्भ सं.	
42	मंजूरी की मुद्रा	
43	मंजूर की गई रकम	
44	आहरण शक्ति	
45	ऋण का प्रकार (वित्तीय, परिचालन)	
46	मध्यवर्ती हैसियत (हां/नहीं)	
47	ऋण उप-प्रकार	
48	वित्तपोषण प्रकार सूचक (वित्तपोषित, गैर-वित्तपोषित)	

49	सुविधा का नाम	
50	पुनर्भुगतान आवर्ती (मासिक, तिमाही, अर्ध-वार्षिक, वार्षिक, मांग करने पर, बुलेट, रोलिंग, अन्य)	
51	ऋण की अवधि	
52	किस्त की रकम	
53	ब्याज की दर	
54	उधार देने की व्यवस्था (एकल बैंकिंग, सहायता संघ, बहुविध बैंकिंग व्यवस्था, बहुविध बैंकिंग के बाहर, सहायता संघ के बाहर, अन्य)	
55	ऋण की मुद्रा	
56	कुल बकाया रकम	
57	बकाया मूल रकम	
58	बकाया ब्याज	
59	बकाया अन्य प्रभार	
60	अतिशोध्य रकम	
61	कालातीत दिन (रिपोर्ट करने के कारोबारी तारीख को यथा-विद्यमान कालातीत दिनों की संख्या)	
62	आस्ति वर्गीकरण (मानक, अमानक, शंकास्पद, हानि)	
63	एस.एम.ए. प्रवर्ग (0,1,2, सं.)	
64	खाता बन्द फ्लैग (हां, नहीं, समनुदेशित)	
65	भाग-क टिप्पणियां (ऐसी कोई टिप्पणी, जो अधिप्रमाणन के दौरान अन्य पक्षकारों के लिए सहायक हो सकती है ।)	
ख. ऋण पर प्रतिभूति के सृजन से संबंधित ब्यौरे (यदि लागू न होता, तो कृपया 'लागू नहीं' लिखिए)		
66	प्रतिभूति हित के सृजन की तारीख	
67	सृजित प्रभार का प्रकार (बंधक, आडमान, प्रभार, समनुदेशन, गिरवी, धारणाधिकार, नकारात्मक धारणाधिकार, प्रत्याभूति, आस्ति कवर और ऐसे अन्य प्रभार	
68	आस्ति प्रकार (जंगम, स्थावर, अमूर्त, अवर्गीकृत)	

69	प्रतिभूति प्रकार (मूल्यों की सूची के अनुसार प्रतिभूति के रूप में प्रयुक्त आस्ति की प्रकृति)	
70	प्रतिभूति प्रवर्ग (प्राथमिक, सांपार्श्विक)	
71	आस्ति आई.डी. (उस आस्ति का पहचान संख्यांक जिस पर प्रभार का सृजन किया गया है)	
72	प्रतिभूति का वर्णन	
73	प्रतिभूति का मूल्य	
74	प्रतिभूति की मुद्रा	
75	मूल्यांकन की तारीख	
76	आर.ओ.सी. प्रभार आई.डी. (कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत, जहां लागू हो)	
77	सी.ई.आर.एस.ए.आई. प्रतिभूति हित आई.डी.	
78	भाग-ख टिप्पणियां (ऐसी कोई टिप्पणी, जो अधिप्रमाणन के दौरान अन्य पक्षकारों के लिए सहायक हो सकती है ।)	
ग. ऋण की चूक से संबंधित ब्यौरे (यदि लागू न होता हो तो कृपया लागू नहीं लिखिए)		
79	चूक की तारीख	
80	कुल बकाया रकम	
81	चूक की रकम	
82	देय तारीख के बाद के दिन	
83	अतिम पुनर्भुगतान की रकम	
84	अंतिम पुनर्भुगतान की तारीख	
85	वाद फाइल करने की तारीख	
86	भाग-ग टिप्पणियां (ऐसी कोई टिप्पणी, जो अधिप्रमाणन के दौरान अन्य पक्षकारों के लिए सहायक हो सकती है ।)	
87	ऋण, प्रतिभूति और चूक के लिए सबूत के रूप में अपलोड किए गए दस्तावेज़*: ऋण: क. उधार करार की प्रति (समय-समय पर यथा-पुनरीक्षित) ख. पुनर्भुगतान अनुसूची (यदि प्रस्तुतकर्ता के कब्ज़ें में है) ग. बकाया की पुष्टि घ. तुलनपत्र और नकदी प्रवाह विवरणियां (यदि प्रस्तुतकर्ता ऋणी है) ङ. ऋण के सृजन/ऋण के निबंधनों में परिवर्तन से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज़	

	प्रतिभूति: क. प्रतिभूति-विलेख की प्रति ख. मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति ग. सी.ई.आर.एस.ए.आई. के पास रजिस्ट्रीकरण का सबूत घ. प्रभार के रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र की प्रति ङ. प्रतिभूति चूक के सृजन से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज़ चूक: चूक के सबूत के रूप में कोई दस्तावेज़	

***** यह आवश्यक नहीं है कि दस्तावेज़ प्ररूप ग में डाटा के साथ प्रस्तुत किए जाएं, वे किसी भी प्रक्रम पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।"

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/4/असा./39/2021-22]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 129 में तारीख 31 मार्च, 2017 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.009, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 488 में तारीख 13 नवम्बर, 2020 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.065, तारीख 13 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2021

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2021

No. IBBI/2021-22/GN/REG072.—In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2021.

   (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 15, in sub-regulation (3), after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:—

   "(ba) minimum service quality standards, including timelines for -

   (i) registration of users,

   (ii) issuance of record of default, and

   (iii) issuance of annual statement to registered users.

   (bb) adoption of quality standards and quality standards certifications."

3. In the principal regulations, in regulation 27, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1) A user, who has submitted information in Form C of the Schedule to an information utility, shall submit the information updated as on the last day of every month, in the first week of following month:

Provided that information of default shall be updated within seven days of occurrence of default."

4. In the principal regulations, after regulation 36, the following regulation shall be inserted, namely:-

"**36A. Publication of statistical information -**

(1) An information utility shall publish statistics relating to debt related information in its possession, quarterly.

(2) The statistics in sub-regulation (1) shall provide distribution of debts in terms of currency, geography, sector, size, tenor, type, lending arrangement, and incidence of default."

5. In the principal regulations, in the Schedule, for Form C, the following Form shall be substituted, namely:-

"**FORM C**

Under regulation 20 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017.

(*Note: Information may be accepted in this Form with necessary modifications as the information utility deems fit*.)

A. Details relating to Creation of Debt		
Sl. No.	**Nature of information**	**Particulars**
I	**II**	**III**
Details of the user submitting information		
1	Business date (The information will be as on date. For example, data of 30th April 2020 submitted even on a later date, say on 05th May 2020, will be as on the business date – 30th April 2020)	
2	UIN (PAN)	
3	Full Name (Please provide your First, Middle and Last name without salutations)	
4	Relationship (Debtor/Creditor/ Guarantor/ Co-obligant / Security Provider / Assignee)	
5	Date of Birth/ Date of incorporation	
6	Communication address	
7	PIN Code	
8	Telephone No.	
9	Mobile No.	
10	Email ID-1 (for Submission acknowledgment, other submission related messages or any other general purpose message)	
11	Email ID-2 (for Dispute alert sent to submitter)	
12	Email ID-3 (for Default alert sent to submitter)	
Details of Other Parties to the Debt (Apart from the person submitting the debt)		
Details of Parties (please add as many parties as may be applicable)		
13	Relationship (Debtor/Creditor/ Guarantor/ Co-obligant / Security Provider / Assignee)	
14	Party name (Please provide your First, Middle and Last name without salutations)	

15	Registered / Permanent Address	
16	Registered Address PIN Code	
17	Communication address	
18	Communication Address PIN Code	
19	Party Type (Indian Entity, Resident Individual, Foreign Entity, NRI/Foreign Individual)	
20	Legal Constitution (Public Ltd. company, Private Ltd. company, LLP, Proprietorship, Partnership, Entity Created by or under a Statute, Trust, HUF, Co-op Society, Association of Persons, Government, Self Help Group, Resident Individual, Non-Resident Foreign Company).	
21	MSME Flag (Y/N)	
22	MSME Sub-type (Micro, Small, Medium)	
23	Industry Category	
24	Date of Birth/ Date of incorporation	
25	Corporate Identification Number (CIN/LLPIN) for registered corporate entities.	
26	PAN	
27	Customer ID	
28	CKYC KIN	
29	Contact Person Name	
30	Contact Person's Mobile No.	
31	Alternative Number	
32	Email id	
33	Alternative Email ID	
Details of the Debt		
34	Debt Reference Number	
35	Old Debt Reference No. (Unique identifier of the debt, in case the debt has previously been recorded in any Information Utility)	
36	Creditor Location (Creditor's internal location code, where submitted by creditor)	
37	Creditor Business Unit (Creditor's internal business unit code, where submitted by creditor)	
38	Creditor RM Email (Email of Creditor's Relation Manager, for notification purpose)	
39	Debt Contract Date (date of sanction, last renewal, debt acknowledgements, etc.)	
40	Debt Start Date (Date of first disbursement or date of activation of the facility)	
41	Sanction Reference No.	
42	Sanction Currency	
43	Sanctioned Amount	
44	Drawing Power	
45	Type of Debt (Financial, Operational)	

46	Intermediary Status (Yes, No)	
47	Debt subtype	
48	Funded Type Indicator (Funded, Non-fund)	
49	Facility name	
50	Repayment frequency (Monthly, Quarterly, Half yearly, Annual, On demand, Bullet, Rolling, Others)	
51	Tenor of debt	
52	Instalment Amount	
53	Rate of interest	
54	Lending arrangement (Sole Banking, Consortium, Multiple Banking Arrangement, Outside Multiple Banking, Outside Consortium, Others)	
55	Currency of debt	
56	Total Outstanding Amount	
57	Principal Outstanding	
58	Interest Outstanding	
59	Other Charges Outstanding	
60	Amount Overdue	
61	Days Overdue (Number of days overdue as on business date of reporting. If no overdue, report zero value)	
62	Asset Classification (Standard, Sub-standard, Doubtful, Loss)	
63	SMA Category (0, 1, 2, N)	
64	Account Closed Flag (Yes, No, Assigned)	
65	Part-A Remarks (Any remarks that can be helpful for Other Parties during authentication)	
B. Details relating to Creation of Security on Debt (If not applicable, please write NA)		
66	Date of creation of Security Interest	
67	Type of Charge created (Mortgage, Hypothecation, Charge, Assignment, Pledge, Lien, Negative Lien, Guarantee, Asset Cover and such other charges)	
68	Assets type (Movable, Immovable, Intangible, Not Classified)	
69	Security type (Nature of asset used as security as per list of values)	
70	Security Category (Primary, Collateral)	
71	Asset ID (identification number of asset on which charge is created)	
72	Description of security	
73	Value of security	
74	Currency of Security	

75	Date of valuation	
76	ROC Charge ID (as registered with MCA, where applicable)	
77	CERSAI Security Interest ID	
78	Part-B Remarks (Any remarks that can be helpful for Other Parties during authentication)	
C. Details relating to Default of Debt (If not applicable, please write NA)		
79	Date of default	
80	Total Outstanding Amount	
81	Default amount	
82	Days past due	
83	Amount of last repayment	
84	Date of last repayment	
85	Date of filing of suit	
86	Part-C Remarks (Any remarks that can be helpful for Other Parties during authentication)	
87	Documents* uploaded as proof for Debt, Security and Default:- Debt: a. Copy of Loan Agreement (as revised from time to time) b. Repayment schedule (If in possession of the submitter) c. Balance Confirmation d. Balance Sheet and Cash Flow Statements (If the submitter is the Debtor) e. Any other documents relating to creation of debt/change in the terms of the debt **Security:** a. Copy of the Security Deed b. Copy of the Valuation Report c. Proof of Registration with CERSAI d. Copy of the Certificate of Registration of Charge e. Any other document relating to creation of security **Default:** Any documents attached as a proof of default	

* *Documents can be submitted at any stage, not necessarily along with the data in Form C.”*

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.- III/4/Exty./39/2021-22]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG009 dated 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 129 on 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2020 published *vide* notification No. IBBI/2020-21/GN/REG065, dated the 13th November, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 488 on 13th November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.04.13 22:21:46 +05'30'